

राजद्रोह कानून

प्रलमिस के लयि:

राजद्रोह कानून, धारा 124A, भारतीय दंड संहति ।

मेन्स के लयि:

राजद्रोह कानून और संबंघति मुद्दों का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

सरकार ने [राजद्रोह](#) के अपराध से नपिटने वाली भारतीय दंड संहति की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना लखिति जवाब देने के लयि और समय मांगा है ।

- वर्ष 2021 में [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#) ने सवाल कयिा था कि [महात्मा गांधी](#) और [बाल गंगाधर तलिक](#) के खलिाफ इस्तेमाल कयिा गया एक औपनविशकि कानून आज़ादी के 75 साल बाद भी कानून की कतिाब में क्यों बना रहा ।
- मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि [सरकार द्वारा देशद्रोह या भारतीय दंड संहति की धारा 124A का दुरुपयोग](#) कयिा जा सकता है ।

राजद्रोह कानून:

- ऐतहिसकि पृष्ठभूमि:**
 - राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधनियिमति कयिा गया था, उस समय वधिा निर्मिताओं का मानना था कि सरकार के प्रर्ता अछ्छी राय रखने वाले वधिारों को ही केवल असत्तिव में या सार्वजनकि रूप से उपलब्ध होना चाहयिे, क्योंकि गिलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लयिे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी ।
 - इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतजिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार कयिा गया था, लेकिन वर्ष 1860 में [भारतीय दंड संहति](#) (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं कयिा गया ।
 - वर्तमान में राजद्रोह कानून की स्थिति:** भारतीय दंड संहति (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है ।
- IPC की धारा 124A :**
 - यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषति करता है जसिमें 'कसिी वयक्तिद्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापति सरकार के प्रर्ताभौखकि, लखिति (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न कयिा जाता है ।
 - वदिरोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल होती हैं । हालाँकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशशि कयिे बनिा की गई टपिपणयिों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं कयिा जाता है ।
- राजद्रोह के अपराध हेतु दंड:**
 - राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है । राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।
 - इस कानून के तहत आरोपति वयक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है ।
 - आरोपति वयक्ति को पासपोर्ट के बनिा रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है ।

राजद्रोह कानून का महत्त्व:

- उचति प्रतर्बिंध**
 - भारत का संवधिान **उचति प्रतर्बिंध (अनुच्छेद 19(2) के तहत)** नरिधारति करता है जो अभवियक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रर्ता ज़मिमेदार अभ्यास को सुनशिचति करता है, साथ ही यह भी सुनशिचति करता है कयिह **सभी नागरकिों के लयिे समान रूप से उपलब्ध** है ।
- एकता और अखंडता बनाए रखना:**
 - राजद्रोह कानून सरकार को **राष्ट्र-वशिधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद** करता है ।

■ राज्य की स्थिरता को बनाए रखना:

- यह चुनी हुई सरकार को हिसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद करता है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनिवार्य शर्त है।

■ राजद्रोह कानून से संबंधित मुद्दे:

◦ औपनिवेशिक युग का अवशेष:

- औपनिवेशिक प्रशासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया।
- **लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह** आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दगिजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था।
- इस प्रकार राजद्रोह कानून का इतना व्यापक उपयोग औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है।

◦ संवधान सभा का रूख:

- संवधान सभा **संवधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिये सहमत नहीं** थी। सदस्यों का तर्क था कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा।
- उन्होंने तर्क दिया कि **लोगों के वरिध के वैध और संवधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये राजद्रोह कानून को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।**

◦ सर्वोच्च न्यायालय के नरिण्यों की अवहेलना:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में **केदार नाथ सिंह बनाम बहिरा राज्य मामले** में धारा 124A की संवधानिकता पर अपना नरिणय दिया। इसने देशद्रोह की संवधानिकता को बरकरार रखा लेकिन इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून एवं व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हिसा के लिये उकसाने की गतिविधियों तक सीमित कर दिया।
- इस प्रकार शक्तिवादि, वकीलों, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं और छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।

◦ लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन:

- भारत को तेज़ी से उभरते एक नरिवाचति नरिकुश राज्य के रूप में वर्णित किया जा रहा है, मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण।

■ हालिया वकिस:

- **फरवरी 2021** में **सर्वोच्च न्यायालय** ने एक राजनीतिक नेता और छह वरिष्ठ पत्रकारों को उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के कई मामलों में गरिफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है।
- **जून 2021** में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो तेलुगू (भाषा) समाचार चैनलों को ज़बरदस्ती कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते हुए राजद्रोह की सीमा को परभाषति करने पर ज़ोर दिया।
- **जुलाई 2021** में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें देशद्रोह कानून पर फरि से वचिर करने की मांग की गई थी।
 - न्यायालय ने कहा, "सरकार के प्रतअसंतोष" की असंवैधानिक रूप से असपष्ट परभाषाओं के आधार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति अपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून **अनुच्छेद 19 (1)** (अ) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतबिंध है और संवैधानिक रूप से अनुमेय भाषण पर 'दुरुतशीतन प्रभाव' (Chilling Effect) का कारण बनता है।

आगे की राह

- IPC की धारा 124A की उपयोगिता राष्ट्रवरिधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों से नपिटने में है। हालाँकि सरकार के नरिण्यों से असहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मज़बूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्त्व हैं। इन्हें देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
- उच्च न्यायपालिका को अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग मजसिटर और पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रतसंवेदनशील बनाने हेतु करना चाहिये।
- राजद्रोह की परभाषा को केवल भारत की क्षेत्तीय अखंडता के साथ-साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के संदर्भ में संकुचित किया जाना चाहिये।
- देशद्रोह कानून के मनमाने इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये नागरिक समाज को पहल करनी चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस